394

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No.- FFE-B-F(2)-3/2013 **Order** Dated Shimla-171002, the 12-6-14

Sub :- Diversion of 2.84 hectares of forest land in favour of HPPWD for the construction of Trehan to Narogii Road (Kms. 0/0 to 6/240), within the jurisdiction of Parvati Forest Division Shamshi, Distt. Kullu Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय मध्य क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या **9-HPB115/2012-CHA/ 83** दिनांक **22.05.14** के परिणामस्वरुप राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.84 hectares** वन भूमि को Ex-Engineer, HPPWD, Division No.-1, Distt. Kullu, H.P., को उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्ते पूरी करने पर प्रदान करती है।

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।

2 प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Kot Kandi-III UPF** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रुपये **9,61,050/–(नौ लाख ईकासठ हजार पचास मात्र)** की राशि से कुल **6.00** हैक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जायेगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।

4 एन.पी.वी. की दरों में अगर कोई बढोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढी हुई दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

5 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एव स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।

6 परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवज जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।

7 वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।

8 पर्यावरण एंव वन मन्त्रालय नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश संख्या 11–48/2002- एफ.सी. दिनांक 29/30 अप्रैल 2005, 5–3 / 2007– एफ. सी. दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी सभी दिशा– निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

9 यदि कोई अन्य संबधित / अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

10 उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित / रद्द कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तो की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी ।

आदेश अनुसार
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला –2

Endst. NoFFE-B-F(2)-3/2013 (FCA) Dated, Shimla-171001 the,...

Dated 12-6-14

Copy is forwarded to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Paryavaran Bhawan, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110510.
2. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
3 The Nodal Officer –cum- Addl. Pr. CCF (FCA), Forest Department, Himachal Pradesh, Shimla-171001, w.r.t his letter No. Ft. 48-2394/2012 (FCA) dated 3-05-14 for information & necessary action.
4. The Deputy Commissioner, Kullu, Himachal Pradesh .
5. CF,Kullu /DFO, Parvati Forest Division, Distt. Kullu, H.P.
6 Ex- Engineer, HPPWD Division No. 1, Distt. Kullu, H.P.
7. Guard File.

S/FCA

(Prakasha Nand)
Deputy Secretary (Forests) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
0177–2628481,9418455573